

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुरा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28-अ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 फरवरी 2003—माघ 28, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-12/2003/वा.कर (पं.)/पांच (11).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञान किए गए शपथ-पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से 1 अप्रैल 2003 से पूर्वतः छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-10-12/2003/वा.कर (पं.)/पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-12/2003/वा.कर (पं.)/पांच (11), दिनांक 17-2-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th February 2003

NOTIFICATION

No. F-10-12/2003/CT (R./V (11).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 11 of 1899) the State Government hereby remits the stamp duty chargeable on an affidavit affirmed by a member of backward classes, with effect from 1st April 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.